ई–मेल

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश,
अनुभाग–12, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 6285 /12–एल(1)/2016 दिनांक 27-11-2020

विषयः नामान्तरण/दाखिल प्रकिया का सरलीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान में विद्यमान ऑनलाइन नामान्तरण वाद/दाखिल खारिज प्रकिया का सरलीकरण किये जाने के दृष्टिगत निबंधन कार्यालय एवं सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी के न्यायालय को लिंक करते हुए तदनुसार आर0सी0सी0एम0एस0 प्रणाली को अपडेट किया गया है। इस नयी प्रकिया में निबन्धन कार्यालय द्वारा रजिस्ट्री के समय ही सम्बन्धित पक्षों से नामान्तरण/दाखिल खारिज हेतु प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र प्राप्त कर, रजिस्ट्री एवं प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र ऑनलाइन आर0सी0सी0एम0एस0 प्रणाली पर अग्रसारित किये जाने पर स्वतः ही नामान्तरण वाद दायर हो जायेगा। उक्त के अलावा आवेदनकर्ता द्वारा भी ऑनलाइन आवेदन किये जाने की व्यवस्था की गयी है। आवेदनकर्ता द्वारा नामान्तरण/दाखिल खारिज के सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन करने की दशा में भी नामान्तरण/दाखिल खारिज वाद स्वतः ही दायर हो जायेगा।

2– उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु दिग्दर्शिका–1 व 2 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दायर किये गये/किये जाने वाले नामान्तरण वाद/दाखिल खारिज वादों का समयान्तर्गत निस्तारण कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(मनीषा त्रिघाटिया)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक उपर्युक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, स्टाम्प एवं निबंधन विभाग, लखनऊ।
3– विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–4, लखनऊ।
4– प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर सेल, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ को उक्त परिषदादेश को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

(अनिल कुमार यादव)
अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

" राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली " पर नामान्तरण / दाखिल ख़ारिज प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु पीठासीन अधिकारी एवं निबन्धन कार्यालय से एकीकरण की दिग्दर्शिका

सर्वप्रथम http://vaad.up.nic.in टाइप करके " राजस्व न्यायालय कम्प्यटरीकत प्रबन्धन प्रणाली " के मख्य पष्ठ पर जाएँ।

↓

नामांतरण (दाखिल - ख़ारिज) हेतु "उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006" की "धारा 34" के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन के लिए क्लिक करें

↓

आवेदनकर्ता जिस मोबाइल नम्बर से आवेदन करना चाहता है उसे प्रविष्ट कर ओ० टी० पी० (वन टाइम पासवर्ड) प्राप्त करे।

↓

आवेदनकर्ता प्राप्त " ओ० टी० पी० (वन टाइम पासवर्ड) " तथा प्रदर्शित कैप्चा प्रविष्ट करके " लॉगिन करें " बटन पर क्लिक करें

↓

निबन्धन कार्यालय एवम रजिस्ट्री के विवरण में " जनपद " " निबंधन कार्यालय " चुनकर " रजिस्ट्री संख्या " एवम " रजिस्ट्री दिनांक " प्रविष्ट कर " प्रदर्शित करें " बटन पर क्लिक करें।

↓

इस प्रकार आवेदक को उस विशेष रजिस्ट्री / बैनामा का सम्पूर्ण विवरण प्रदर्शित होने लगेगा।

↓

आवेदनकर्ता / प्रतिवादी संबंधित अपना सम्पूर्ण विवरण प्रविष्ट करके आवेदन/आपत्ति
दर्ज करने के लिए सत्यापित करके " आवेदन सुरक्षित करें " बटन पर क्लिक करें

इस प्रकार प्रस्तुत आवेदन सीधे तहसीलदार न्यायालय में स्वतः दर्ज हो जायेगा

आवेदनकर्ता " प्रिंट देखें आवेदन पत्र " विकल्प से किये गये आवेदन प्रिंट कर सकता है

स्वतः दर्ज नामान्तरण / दाखिल खारिज वाद को पीठासीन अधिकारी द्वारा
नियमानुसार समयान्तर्गत वाद निस्तारित किया जायेगा

“ राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली “ पर नामान्तरण / दाखिल ख़ारिज हेतु "उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006" की "धारा 34" के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन की दिग्दर्शिका

सर्वप्रथम http://vaad.up.nic.in **टाइप करके “ राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली “ के मुख्य पृष्ठ पर**

↓

नामांतरण (दाखिल - ख़ारिज) हेतु "उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006" की "धारा 34" के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन के लिए

↓

आवेदनकर्ता जिस मोबाइल नम्बर से आवेदन करना चाहता है उसे प्रविष्ट कर ओ० टी० पी० (वन टाइम पासवर्ड) प्राप्त करे ।

↓

आवेदनकर्ता प्राप्त “ ओ० टी० पी० (वन टाइम पासवर्ड) ” तथा प्रदर्शित कैप्चा प्रविष्ट करके “ लॉगिन करें ” बटन पर क्लिक करें

↓

निबन्धन कार्यालय एवम रजिस्ट्री के विवरण में " जनपद " " निबंधन कार्यालय " चुनकर " रजिस्ट्री संख्या " एवम " रजिस्ट्री दिनांक " प्रविष्ट [illegible]

↓

इस प्रकार आवेदक को उस विशेष रजिस्ट्री / बैनामा का सम्पूर्ण विवरण प्रदर्शित होने लगेगा।

↓

आवेदनकर्ता / प्राधिकृत व्यक्ति अपना सम्पूर्ण विवरण प्रविष्ट करके नामान्तरण / ख़ारिज दाखिल के लिए उद्घोषणा करके " आवेदन सुरक्षित करें " बटन पर

↓

इस प्रकार प्रस्तुत आवेदन सीधे तहसीलदार न्यायालय में स्वतः दर्ज़ हो

↓

आवेदनकर्ता " कल दर्ज़ आवेदन पत्र " विकल्प से किये गये आवेदन प्रिंट कर

↓

स्वतः दर्ज़ नामान्तरण / दाखिल ख़ारिज वाद को पीठासीन अधिकारी द्वारा नियमानसार समयान्तर्गत वाद निस्तारित किया जायेगा